

**Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd.**

**Public Notice**

In compliance to section 62 of the Electricity Act, 2003 and provisions of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of Multi-Year Tariff) Regulations- 2025, Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd. (CSPGCL) has filed a Petition before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) for True up of ARR for FY 2024-25 and determination of ARR for FY 2026-27 to FY 2029-30 for its Conventional Plants (including input price of coal from GP III mine). This petition has been registered as petition no. 102 of 2025.

In the true up the Standalone Gap for FY 2024-25 is Rs. 146.03 Cr. and with carrying cost the recoverable Gap in FY 2026-27 is Rs. 171.93 Cr.

Regarding the ARR for FY 2026-27 to FY 2029-30, the AFC and ECR are as under:-

**Summary of AFC for FY 2026-27 to FY 2029-30 (In Rs. Cr.)**

<b>Power Station</b>	<b>HTPS</b>	<b>DSPM TPS</b>	<b>KWTPP</b>	<b>ABVTPS</b>	<b>HBHPS</b>
<b>FY 26-27</b>	885.61	550.79	648.74	1565.09	37.91
<b>FY 27-28</b>	930.78	562.58	665.20	1577.56	40.34
<b>FY 28-29</b>	992.91	606.35	691.37	1608.51	43.50
<b>FY 29-30</b>	1054.25	645.66	714.67	1637.10	41.40

**Summary of ECR for FY 2026-27 to FY 2029-30 (In Rs/kWh)**

<b>Power Station</b>	<b>HTPS</b>	<b>DSPM TPS</b>	<b>KWTPP</b>	<b>ABVTPS</b>
<b>FY 26-27</b>	1.658	1.851	1.401	2.297
<b>FY 27-28</b>	1.658	1.851	1.401	2.321
<b>FY 28-29</b>	1.658	1.851	1.401	2.317
<b>FY 29-30</b>	1.658	1.851	1.401	2.312

Note: For simple representation, in the above AFC contribution to Gratuity/Pension Trust & Ash Utilization expenses has been added to the AFC claimed in the petition. The pass through charges as mentioned in the Regulations / orders shall be recoverable on actual reimbursement basis.

Objections / Suggestions, on the above petition, may be submitted to the Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: [cserc.sec.cg@nic.in](mailto:cserc.sec.cg@nic.in) with a copy to Chief Engineer (C&RA), CSPGCL, Shed no. 6, Vidyut Sewa Bhawan Dagoniya Raipur – 492013, Email: [edcnra@cspc.co.in](mailto:edcnra@cspc.co.in), within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are also available on the Commission's website [www.cserc.gov.in](http://www.cserc.gov.in) and CSPGCL website <https://cspgcl.co.in>. Hardcopy of the aforesaid petition is available in office of the Commission as well as in the office of Chief Engineer (C&RA) CSPGCL and same can be purchased by paying an amount of Rs. 500/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 100/- as postal expenses. Notice for hearing on aforesaid petition may be published separately by CSERC in the newspapers.

**Chief Engineer (C&RA)**  
**CSPGCL, Raipur**

## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

### आम सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के प्रावधानों सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण हेतु निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सी.एस.पी.जी.सी.एल.) के द्वारा अपने पारंपरिक विद्युत उत्पादन संयंत्रों (जी.पी.।।। खदान के कोयले की इनपुट लागत सहित) के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्तविकीकरण (ट्रू-अप) के अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के लिये आवश्यक वार्षिक राजस्व के निर्धारण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सी.एस.ई.आर.सी.) के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है। इस याचिका को याचिका क्र.102/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये शुद्ध राजस्व कमी रु.146.03 करोड़ है तथा कैरिंग कॉस्ट सहित वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रतिपूर्ति योग्य कमी रु. 171.93 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के समग्र राजस्व आवश्यकता के संबंध में, वार्षिक स्थिर प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार हैं :-

#### वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के लिये आवश्यक वार्षिक स्थिर प्रभार का सार (करोड़ रु.)

उत्पादन संयंत्र	एच.टी.पी.एस.	डी.एस.पी.एम. टी.पी.एस.	के.डब्लू.टी.पी.पी.	ए.बी.वी.टी.पी.एस.	एच.बी.एच.पी.एस.
वित्तीय वर्ष 26-27	885.61	550.79	648.74	1565.09	37.91
वित्तीय वर्ष 27-28	930.78	562.58	665.20	1577.56	40.34
वित्तीय वर्ष 28-29	992.91	606.35	691.37	1608.51	43.50
वित्तीय वर्ष 29-30	1054.25	645.66	714.67	1637.10	41.40

#### वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 के लिये आवश्यक वार्षिक ऊर्जा प्रभार का सार (रु. प्रति इकाई)

उत्पादन संयंत्र	एच.टी.पी.एस.	डी.एस.पी.एम. टी.पी.एस.	के.डब्लू.टी.पी.पी.	ए.बी.वी.टी.पी.एस.
वित्तीय वर्ष 26-27	1.658	1.851	1.401	2.297
वित्तीय वर्ष 27-28	1.658	1.851	1.401	2.321
वित्तीय वर्ष 28-29	1.658	1.851	1.401	2.317
वित्तीय वर्ष 29-30	1.658	1.851	1.401	2.312

**टीप:** सरलता की दृष्टि से उपरोक्त वार्षिक स्थिर प्रभार में ग्रेट्यूटी एवं पेंशन ट्रस्ट तथा राखड़ के उपयोग हेतु खर्च को याचिका में उल्लेखित स्थिर प्रभार में जोड़कर दर्शाया गया है। विनियमों एवं आदेशों में उल्लेखित पास-थ्रू प्रभार वास्तविक खर्च के आधार पर प्रतिपूर्ति योग्य होंगे।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति इस आम सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर - 492001, ईमेल [cserc.sec.cg@nic.in](mailto:cserc.sec.cg@nic.in) के समक्ष, मुख्य अभियंता (सी.एंड आर.ए.), शेड नं., 06, सी.एस.पी.जी.सी.एल. विद्युत सेवा भवन डंगनियां रायपुर - 492013, ईमेल [edcnra@cspc.co.in](mailto:edcnra@cspc.co.in) को प्रतिलिपि के साथ, प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट [www.cserc.gov.in](http://www.cserc.gov.in) एवं सी.एस.पी.जी.सी.एल की वेबसाइट [https://cspgcl.co.in](http://https://cspgcl.co.in) पर उपलब्ध है। उपरोक्त याचिका की मुद्रित प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं साथ ही मुख्य अभियंता (सी.एंड आर.ए.), सी.एस.पी.जी.सी.एल. कार्यालय में भी उपलब्ध है जिसे कार्यालयीन दिवसों में रुपये 500/- का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांय: 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रुपये 100/- (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा सकती है।

मुख्य अभियंता (सी. एंड आर.ए.)  
सी.एस.पी.जी.सी.एल, रायपुर